प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 28.02.2025

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मोबाइल फोन स्नैचिंग की घटनाओं को कारित करने वाले 02 अभियुक्त मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 01 तमंचा, 01 जिंदा कारतूस, 01 खोका कारतूस, स्नैचिंग / छिनैती का 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट मोटर साइकिल बरामद ।

दिनांक 27.02.2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा लूट /स्नैचिंग की रोकथाम हेतु अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाऐ जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना इन्दिरापुरम सैक्टर 5-6 की पुलिया के पास गाजीपुर दिल्ली की तरफ से आ रही एक मोटर साइकिल पर सवार 02 युवको को रुकने का इशारा किया गया परन्तु दोनो मोटर साइकिल सवार युवक नही रुके तथा मोटर साइकिल को तेजी से पीछे मोड़ते हुए भागने का प्रयास किया गया तभी सन्तुलन बिगड जाने पर कुछ ही दूरी पर मोटर साइकिल फिसलकर गिर गयी जिन्हे पकडने का प्रयास किया गया तो उनमे से एक युवक द्वारा मोटर साइकिल को छोड़कर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुए भागने का प्रयास किया गया तभी पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुये बहादुरी का परिचय देते हुये आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गयी व न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुये फायर कर रहे युवक पर जवाबी फायर किया गया। जिससे गोली चलाने वाले अभियुक्त साहिल पुत्र साकिर हुसैन निवासी गली नं0 5 संगम विहार थाना संगम विहार बद्रा रोड साउथ दिल्ली उम्र करीब 26 बर्ष के पैर मे गोली लगी। जिससे वह घायल होकर नीचे गिर गया। तभी मौके का फायदा उठाकर भागने का प्रयास कर रहे उसके दूसरा अभियुक्त आरिफ पुत्र समयदीन निवासी एच-16 /253 गली न0 एच-16 सगंम विहार साउथ दिल्ली उम्र करीब 24 बर्ष को मौके पर ही हिरासत मे लिया गया। तत्पश्चात बिना देरी किये पुलिस टीम द्वारा दोनो अभियुक्तगणो को अवैध 01 तमंचा, 01 जिंदा कारतूस, 01 खोका कारतूस, स्नैचिंग / छिनैती का 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट मोटर साइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

साहिल पुत्र साकिर हुसैन व आरिफ पुत्र समयदीन से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि ये दोनो अभियुक्तगण शाम के समय राहगीरो से स्नैचिंग तथा लूट की घटना कारित करते है ।दोनो अभियुक्तगण गाजियाबाद ,नोएडा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मोटर साईकिल से राह चलते व्यक्तियों से मोबाइल छिनते है और छिने गये मोबाइलो को राह चलते व्यक्तियो को अपनी मजबूरी बताकर कम दामो में बेच देते है। आज ये दोनो अभियुक्तगण फिर से स्नौचिंग की घटना करने व जो हमसे मोबाइल फोन बरामद हुआ है। उसे बेचने आये थे। दोनो अभियुक्तगणों ने लूट के पैसो से ये मोटर साइकिल खरीदी थी और अब इसी मोटर साइकिल से नंबर प्लेट हटाकर लूट / स्नैचिंग की घटनाएं करते हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1- साहिल पुत्र साकिर हुसैन निवासी गली न0 5 संगम विहार थाना संगम विहार बद्रा रोड साउथ दिल्ली उम्र 26 वर्ष

2- आरिफ पुत्र समयदीन निवासी एच-16 /253 गली न0 एच-16 सगंम विहार साउथ दिल्ली उम्र 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण

अवैध 01 तमंचा, 01 जिंदा कारतूस, 01 खोका कारतूस, स्नैचिंग / छिनैती का 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट मोटर साइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण

- अभियुक्त साहिल पुत्र साकिर के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर छिनैती, आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियोग व दिल्ली मे लूट, छिनैती व मर्डर के 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

- अभियुक्त आरिफ के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर छिनैती / आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 02 व दिल्ली मे छिनैती से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-
थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम।

थाना निवाडी पुलिस द्वारा वाहनों से डीजल व पेट्रोल चोरी कर बेचने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया डीजल / पेट्रोल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 28.02.2025 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर सडक किनारे एकांत में खडे वाहनो से डीजल व पेट्रोल चोरी करने वाला अभियुक्त आकाश पुत्र सत्ते नि0 ग्राम अबूपुर थाना निवाडी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से वाहनों से चोरी किया गया लगभग 40 लीटर पेट्रोल व 25 लीटर डीजल दो अलग अलग कैन में तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद । अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धारा-303(2)/317(2) में अभियोग पंजीकृत किया गया, आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि मैं ग्राम अबूपुर का रहने वाला हूँ तथा एनएच 58 पर ढाबों व होटलों के बाहर खडे होने वाले वाहनों से पेट्रोल व डीजल चोरी कर लेता हूँ। चोरी किये गये पेट्रोल व डीजल को आने जाने वाले अज्ञात व्यक्तियों को बेचकर मिले पैसों से अपने शौक पूरे करता हूँ।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>
आकाश पुत्र सत्ते नि0 ग्राम अबूपुर थाना निवाडी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष

<u>बरामदगी का विवरण-</u>
- वाहनों से चोरी किया गया लगभग 40 लीटर पेट्रोल व 25 लीटर डीजल दो अलग अलग कैन में,
- घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद ,

<u>आपराधिक इतिहास-</u>
अभियुक्त के विरुद्ध थाना निवाडी पर चोरी का माल बरामदगी का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है,

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>
थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना निवाडी पुलिस द्वारा लोगों को जान से मारने की नियत से गाडी चढाकर गम्भीर रुप से घायल करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 25.02.2025 को रात्रि में थाना निवाडी पर कंट्रोल रुम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि सहारवत फार्म हाऊस में हो रही शादी में झगडा हो रहा है तथा कुछ अज्ञात व्यक्ति नशे की हालत में मारपीट कर अपनी गाडी को चलाकर कुछ लोगो को गम्भीर रुप से घायल कर भाग गये है। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भिजवाया गया तथा शांति व्यवस्था कायम की गयी। दिनांक 26.02.2025 को थाना निवाडी पर वादी श्री सुरेन्द्र सिंह S/O धर्मवीर सिंह निवासी काजमपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद से प्राप्त तहरीर पर उक्त घटना के सम्बन्ध में सुसंगत धारा-191(2)/115(2)/352/351(3)/110/125(2)/281 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया, थाना निवाडी पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटैज चैक किये गये तथा लोगो से घटना के सम्बन्ध में जानकारी की गयी। विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन के आधार पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए धारा 110 बीएनएस का लोप कर धारा-109 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया।

आज दिनांक 28.02.2025 को थाना निवाडी पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण 1. सागर पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी बहसुमा थाना बहसुमा जनपद मेरठ, 2. प्रदीप पुत्र उदयवीर सिंह निवासी ग्राम समसपुर थाना बहसुमा जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग बहसुमा से ईको फार्म हाउस में शादी में सम्मिलित होने के लिये आये थे। जब हम लोग चढत / शादी में नाचते हुए ईको फार्म हाउस के गेट पर पहुंचे तो पास में ही सहरावत फार्म हाउस में भी चढत हो रही थी। हम लोग सहरावत फार्म हाउस के बाहर चढत में जाकर नाचने लगे। शराब के नशे में होने के कारण लोगो ने हमें वहाँ पर नाचने के लिये मना किया जिससे हमें गुस्सा आ गया तो और हमारी वहाँ पर मारपीट हो गयी। जब वहाँ ज्यादा हंगामा होने लगा तो हम लोग अपनी वैगनार कार में बैठकर सहरावत फार्म हाउस वाले रास्ते पर चले गये कि हमें इस झगडे का उन लोगो को सबक सिखाना है। उसके कुछ देर बाद हम लोग अपनी वैगनार कार को घूमाकर वापस आये तथा सहरावत फार्म हाउस के बाहर चढत में शामिल लोगो को जान से मारने की नियत टक्कर मारकर भाग गये थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सागर पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी बहसुमा थाना बहसुमा जनपद मेरठ, उम्र करीब 20 वर्ष,
2. प्रदीप पुत्र उदयवीर सिंह निवासी ग्राम समसपुर थाना बहसुमा जनपद मेरठ, उम्र करीब 19 वर्ष,

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना निवाडी पर हत्या का प्रयास के सम्बन्ध में 01 पंजीकृत किया गया, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा अवैध गांजे की तस्करी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से 11 किलो अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 28.02.2025 को थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 03 अभियुक्त 1.मौ0 मुनोबर हुसैन पुत्र मौ0 सोहेल निवासी आश्रम गली छजारसी थाना सैक्टर 63 गौतमबुद्धनगर मूल नि0 ग्राम धुतौली थाना चौथम जिला खगडिया बिहार 2.संदीप कुमार पुत्र रमेश निवासी गली नं0 4 वोम्बे कालोनी नंदग्राम थाना नंदग्राम गाजियाबाद मूल नि0- ग्राम गरोल थाना नानपुर जिला सीतामड़ी बिहार 3. नन्दू झा पुत्र कामेश्वर झा नि0 गली नं0 1 वोम्वे कालोनी निकट शिव मंदिर थाना नंदग्राम गाजियाबाद मूल नि0 ग्राम कनसी थाना सिमरी

जिला दरभंगा बिहार को फैक्ट्री एरिया नाले के पास थाना विजयनगर से गिरफ्तार किया गया व कब्जे से 11 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम गांजे की छोटी छोटी पुडिया बनाकर उन्हे चलते फिरते व्यक्तियों को बेच देते है। आज भी हम लोग अपने माल को बेचने के लिये घूम रहे थे कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। अभियुक्तगणों से बरामद गांजे के बारे में पूछा तो बताया कि गांजा हमें हर बार कोई नया व्यक्ति देता है। जिसे हम नही जानते हैं।

नाम पता अभियुक्त

1. मौ0 मुनोबर हुसैन पुत्र मौ0 सोहेल निवासी आश्रम गली छजारसी थाना सैक्टर 63 गौतमबुद्धनगर मूल नि0 ग्राम धुतौली थाना चौथम जिला खगडिया बिहार उम्र 25 वर्ष।
2. संदीप कुमार पुत्र रमेश निवासी गली नं0 4 वोम्बे कालोनी नंदग्राम थाना नंदग्राम गाजियाबाद मूल नि0- ग्राम गरोल थाना नानपुर जिला सीतामड़ी बिहार उम्र 27 वर्ष।
3. नन्दू झा पुत्र कामेश्वर झा नि0 गली नं0 1 वोम्वे कालोनी निकट शिव मंदिर थाना नंदग्राम गाजियाबाद मूल नि0 ग्राम कनसी थाना सिमरी जिला दरभंगा बिहार उम्र 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

अभियुक्तगण के कब्जे से 11 किलो नाजायज गांजा बरामद।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः –

अभियुक्त संदीप कुमार उपरोक्त पर – 02 अभियोग एनडीपीएस एक्ट के थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पर।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म का झूठा अभियोग पंजीकृत कराने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार

घटना का विवरणः-

दिनांक 12.06.2024 को वादिया निवासी एनटीपीसी विद्युत नगर दादरी गौतमबुद्धनगर हाल पता – जेपीवी अवन्तिका 2 थाना कविनगर गाजियाबाद की तहरीर पर अभियोग अन्तर्गत धारा 376/323/504/506/313 भादवि व 3(2) 5 एससी एसटी एक्ट का पंजीकृत हुआ जिसमें आवेदिका ने विकास त्यागी निवासी अवन्तिका थाना कविनगर गाजिय़ाबाद के विरुद्ध शादी का झांसा देकर तीन साल तक बलात्कार करना , मारपीट करना , जाति सूचक गालियाँ देना तथा जबरदस्ती यौन संबध बनाना जिससे उसके बच्चे की गर्भ में मृत्यु हो जाना तथा पेट पर लात मारना पुनः इन्टरनल ब्लीडिंग होकर गर्भपात हो जाना के आरोप अंकित किये थे। जिसकी विवेचना के दौरान धारा 161 सीआरपीसी के बयानो में एफआईआऱ का समर्थन किया परन्तु धारा 164 सीआरपीसी के बयानो में एकदम उलट अपने आरोपो में से बलात्कार का खण्डन करते हुए कहा कि हमारे संबध मर्जी से बने थे। केवल मारपीट वाली बात कही तथा अपना समझौतानामा होना तथा अपना केस आगे न चलाने के बात कही। तथा डॉक्टर द्वारा पीडिता को एनीमिक होना बताया था तथा उसको वजन कम करने की सलाह दी गई थी जिसका पालन न करने कारण उसके मिसकैरिज होने का कथन अंकित किया था। आरोपी के विरुद्ध धारा 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी तो ज्योति सागर

द्वारा उसकी जमानत करायी गयी। आवेदिका के समझौतानामा एवं बयान परिवर्तित करने बाबजूद पुलिस द्वारा विपक्षी विकास त्यागी के विरुद्ध धारा 323/504/506 भादवि 3(2)5 (a) में आरोप पत्र दिनांक 04.07.2024 को प्रेषित किया गया।

दिनांक 22.08.2024 को आवेदिका महिला द्वारा एक प्रार्थना पत्र पुलिस आयुक्त कार्यालय में दिया गया तथा जिसको आईजीआरएस संख्या 20014024013347 के रुप में अपलोड किया गया साथ ही साथ आवेदिका ने दिनाकं 24.08.2024 को दो प्रार्थना पत्र और दिये जिसमें उसने विपक्षी विकास त्यागी के जीजा विक्रान्त त्यागी व दीपक चौहान पर दबाब देकर धारा 164 सीआरपीसी का बयान बदलवाने के आरोप लगाया तथा दिनांक 14.08.2024 को उसके पेट पर विपक्षी विकास त्यागी द्वारा लात –घूसें मारना जिससे ब्लीडिंग होना तथा डा0 वन्दना सिंह से सलाह लेकर दवाई देना अंकित किया तथा विक्रान्त त्यागी व दीपक चौहान द्वारा जान से मारने की धमकी देना , व विकास त्यागी द्वारा उसकी आईडी का गलत प्रयोग करना आदि आरोप अंकित किये। जिसके सम्बन्ध में पुलिस द्वारा जांच प्रारम्भ की गयी तो आवेदिका द्वारा दिनांक 26.08.2024 को एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें विकास त्यागी की माता की मौजूदगी में उसी दिन शादी करने का कथन अंकित किया गया तथा अपने प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही रोक देने का अनुरोध किया और इस संबध में वीडियो भी उसके द्वारा अपलोड की गयी।

तत्पश्चात दिनांक 23.01.2025 को पुनः वादिया उपरोक्त ने एक प्रार्थना पत्र पुलिस आयुक्त महोदय को संबोधित करते हुए दिया जिसमें विकास त्यागी द्वारा शादी का आश्वासन देकर मुकर जाना , जाति सूचक शब्द कहना तथा दिनांक 26.08.2024 को वैभव चौहान व विकास त्यागी की माँ द्वारा आधी- अधूरी शादी कराना तथा वैभव चौहान द्वारा हथियार के बल पर एक पत्र लिखवाना व वीडियो बनवाना एवं दिनांक 17.01.2025 को विकास त्यागी द्वारा मारपीट करना तथा शराब डालकर जलाने का प्रयास करना आदि आरोप अंकित किये थे जिसके आधार पर अभियोग अन्तगर्त धारा 115(2)/352/351(2)85/109 बीएनएस पंजीकृत किया जिसकी विवेचना के क्रम में धारा 164 सीआरपीसी के बयानो में विकास त्यागी एवं वैभव चौहान पर गैंगरेप का भी आरोप अंकित किया था जिसकी विवेचना के क्रम में विपक्षी विकास त्यागी द्वारा इसके साथ मारपीट करने एवं सिगरेट से अन्तरंग स्थानो पर जलाने व विद्रूप करने के तथ्यों की पुष्टि होने तथा जलाने आदि की चोटें मैडीकल के क्रम में पायी गयी थी तथा गैंगरेप जैसे आरोप विवेचना से असत्य पाये गये थे जिस पर विपक्षी विकास त्यागी का चालान अन्तर्गत धारा 115(2)/352/351(2)85/118(2) बीएनएस व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट में दिनांक 25.02.2025 को किया गया।

दिनांक 24/25.02. 2025 को महिला उपरोक्त द्वारा 112 पीआरवी व एम्बुलैन्स को कॉल किया गया जिस पर एम्बुलैन्स द्वारा इनको संजय नगर जिला अस्पताल ले जाया गया जहाँ से थाना कविनगर को मीमौ प्राप्त हुआ तो पीडिता के बताये अनुसार उसके आन्तरिक व वाह्य मैडीकल हेतु रिपोर्ट दी गई तथा उसी क्रम में पीडिता द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया , जिसके आधार पर थाना हाजा पर अभियोग अन्तर्गत धारा 123/124(1)/127(2)/115(2)/70(1)/352/351(2) बीएनएस 3(2) 5 एससी एसटी एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया जिसमे उसने एक ग्रे कलर कार में सवार दीपक चौहान उर्फ मोहनती , वैभव चौहान उर्फ रोबिन तथा एक अज्ञात द्वारा उसका करीब साढे आठ बजे सोमवार बाजार जाते समय अपहरण करना, इन्जक्शन लगाकर सुन्न करना तथा उसकी गर्दन पर ज्वलनशील कैमिकल डालना तथा उक्त तीनों द्वारा बारी –बारी बलात्कार करना व उसके प्राईवेट पार्ट में बोतल आदि डालना के आरोप अंकित किये थे तथा अपने बयान धारा 180 बीएनएसएस में बताया कि उक्त घटना करने बाद उसको आरोपीगण द्वारा महरौली फाटक के पास कूडें के ढेर के निकट फेंक दिया था जहाँ वह काफी समय तक निश्चेत पडी रही कुछ हालत में सुधार होने पर करीब 10.00 बजे अपने घर आयी तथा फिर कुछ समय पश्चात 112 को सूचना दी गयी।
जिसकी विवेचना के क्रम में चार टीम गठित कर सीसीटीवी कैमरे चैक किये गये एवं सीडीआर एवं इलैक्ट्रोनिक साक्ष्यों के पीडिता द्वारा कराये गये निरीक्षण घटनास्थल के आधार पर सीसीटीवी कैमरो का अवलोकन किया गया तो पीडिता ने स्वंय को जहाँ (महरौली फाटक के पास) पर फेंकना बताया था उस ओर से घटना की समयवाधि एवं पीडिता द्वारा 112 को कॉल करने के समय के मध्य्र कोई भी महिला पैदल आती नही दिखायी दी जिस पर गहराई से महिला के मकान एवं आस पास के सीसीटीवी फुटेज चैक किये गये तो दिखाई दिया कि समय करीब 08.27 बजे महिला अपने फ्लैट से निकलकर गई तथा अवन्तिका रोड पर दूर एक गाडी में बैठती हुयी दिखाई दी तथा समय करीब 22.19.33 बजे उसी स्थान पर वही गाडी आकर रुकी तथा महिला गाडी से उतरकर पैदल - पैदल सामान्य चाल से चलते हुए अपने फ्लैट का प्रथम गेट खुला न होने के कारण द्वितीय गेट से अनंदर जाती हुयी दिखाई दी एवं उसके पश्चात 25.02.2025 को समय 00.18 बजे फ्लैट से निकलकर अवन्तिका पुलिया की ओर जाती हुयी

दिखाई दी। महिला द्वारा बतायी गई तथाकथित घटना के पश्चात एवं 112 को सूचना देने के मध्य करीब दो से ढाई घण्टे की अवधि है तथा उसके मोबाईल नम्बर 8826150506 की सीडीआर के अवलोकन से उसकी लोकेशन 24.02.2025 को समय 20.01 बजे अवन्तिका में एवं समय 21.27 बजे सत्यम बिल्डिग आरडीसी राजनगर की पायी गयी जो कि दिनांक 25.02.2025 को समय 00.25 बजे डायल 112 को कॉल की गई उस समय लोकेशन अवन्तिका की है।
इसी क्रम में आरोपीगण वैभव चौहान एवं दीपक चौहान की सीडीआर एवं सीसीटीवी फुटेज चैक की गई तो आरोपी वैभव चौहान घटना के समय मोरटी में लोकेशन आयी वह समय 18.33 बजे स्कूटी से बाहर गया तथा समय 18.45 बजे वापस आ गया एवं अपने दोस्त अर्पित के साथ बलैनो गाडी से समय 21.48 बजे राजनगर एक्सटैंशन की ओर जाती हुयी दिखाई दी जिससे समय 22.44 बजे वैभव गाडी से उतरकर अपने फ्लैट की ओर जाता हुआ दिखाई दिया जिसकी सीडीआर में समय़ 17.19 बजे एवं 21.47 बजे लोकेशन ग्राम मोरटी राजनगर एक्सटेंशन की पायी गयी। विपक्षी दीपक चौहान की मौसी की लडकी की दिनांक 23.02.2025 को शादी थी जिस पर वह दिनांक 24.02.2025 को अपने परिवार के साथ पैदल शाम के समय 19.35 बजे खाना खाने अपनी मौसी के यहाँ गया था जहाँ से वह समय 21.21.45 बजे अपने बच्चो के साथ लौटा था फिर अपनी गाडी से समय 21.23 बजे जाता हुआ एवं 21.47.40 बजे वापस आता हुआ दिखाई दिया। एवं सीडीआर से समय 19.12 बजे मरीयम नगर एवं 21.46 सेवा नगर मरीयम नगर होना पायी गयी।

पीडिता ने अपने बांये कंधे मे विपक्षी द्वारा इन्जैक्शन लगाना बताया है जबकि पीडिता गाडी में स्वंय बायीं ओर से गाडी में बैठना बतायी है तथा विपक्षी दाहिनी ओर था एवं गर्दन पर लिक्विड गिलास द्वारा डालना बताया है परन्तु डाँक्टर द्वारा बताया गया कि उक्त पदार्थ डाला प्रतीत नही होता बल्कि रुई द्वारा लगाना (पैंडिग) बताया है अगर पदार्थ डाला गया होता तो उसके द्वारा बहकर चोट बनायी जाती तथा पीडिता के शरीर पर डाँक्टर द्वारा पीडिता के किये गये मैडीकल के संबध में बताया कि पीडिता के साथ जबरदस्ती सम्बन्ध बनाने एवं प्राईवेट पार्ट में बोतल आदि डालने जैसी कोई भी आन्तरिक व वाह्य चोट के निशान नही होना पाये गये।

विपक्षीगण द्वारा बताया गया कि पीडिता विकास त्यागी एवं उसके दोस्त उनसे धन की मांग करती थी उसी की पूर्ति न होते देख उक्त प्रकार के झूठे आरोप अंकित करना बताया।

श्रीमान जी उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर महिला द्वारा दर्ज करायी गयी झूठी एफआईआर एवं झूठे धारा 183 बीएनएसएस के कथनों की पुष्टि नही हुयी बल्कि उसके द्वारा झूठी घटना दिखाते हुये पैसे एवं फ्लैट लेने के लिए उक्त आरोप लगाये गये जो विवेचना में झूठे पाये गये। जिसके आधार पर अभियोग में धारा 123/124(1)/127(2)/115(2)/70(1)/352/351(2) बीएनएस 3(2) 5 एससी एसटी एक्ट से परिवर्तित कर धारा 318(4)/230/308(3)/352 बीएनएस में महिला उपरोक्त द्वारा झूठी साक्ष्य देना ,झूठे आरोप लगाकर उद्यापन करना तथा धोखाधडी करना तथा स्वंय से बनायी चोटों में विपक्षीगण को आरोपित करना आदि तथ्यों में गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता –
एक महिला झूठे आरोप अंकित कराने वाली।
महिला निवासी ए 105 एनटीपीसी विद्युत नगर दादरी गौतमबुद्धनगर हाल पता – जेपीवी अवन्तिका 2 थाना कविनगर गाजियाबाद पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 318(4)/230/308(3)/352 बीएनएस।

गिरफ्तार करने वाली टीम-
थाना कविनगर पुलिस टीम जनपद गाजियाबाद।

क्राईम ब्रॉन्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा वर्ष-2023 मे पेशी के दौरान कचहरी परिसर गाजियाबाद से फरार 01 लाख रू0 का पुरूस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वर्ष 2016 में थाना क्षेत्र खोडा में नौशाद ने अपनी साली के हत्या कर दी थी जिसमें वह जिला जेल गाजियाबाद में निरूद्ध था। अभियुक्त नौशाद दिनाँक-18/10/2023 को माननीय न्यायालय गाजियाबाद के तलबी आदेशानुसार जिला कारागार डासना गाजियाबाद से पेशी हेतु कचहरी सदर हवालात गाजियाबाद लाया गया था। मुख्य आरक्षी शाहनवाज तैनाती पुलिस लाईन गाजियाबाद द्वारा बन्दी नौशाद को माननीय न्यायालय में पेश करने हेतु ले जाया गया था परन्तु काफी समय होने के बाद भी मुख्य आरक्षी शाहनवाज बन्दी नौशाद को वापस सदर हवालात नही लाया इस पर लोकअप मोहर्रिर सदर हवालात द्वारा जब मुख्य आरक्षी से जरिये मोबाइल सम्पर्क कर विलम्ब का कारण पूछा गया तो मु0आ0 शाहनवाज ने बताया कि बन्दी नौशाद फरार हो गया है। इस पर न्यायालय परिसर मे लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गयी तो मुख्य आरक्षी शाहनवाज बन्दी नौशाद को न्यायालय परिसर से बाहर ले जाता हुआ दिखाई दिया। जिसके सम्बन्ध मे थाना कविनगर पर मु0अ0स0-944/23 धारा-223/224 भादवि पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त नौशाद की गिरफ्तारी हेतु कई टीमों का गठन किया गया था।

दिनाँक-27/02/2025 को क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अभियुक्त नौशाद को थाना कविनगर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्तवपूर्ण सफलता हासिल की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो वर्ष 2019 में भी माननीय न्यायालय परिसर गाजियाबाद से पेशी के दौरान फरार हो गया था जिसकी गिरफ्तारी पर तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा रू0 25,000/- का पुरूस्कार घोषित किया गया था। वर्ष 2020 में गिरफ्तारी के बाद से उपरोक्त अभियुक्त नौशाद जिला कारागर डासना गाजियाबाद में निरूद्ध था जो वर्ष 2023 मे पुनः माननीय न्यायालय परिसर गाजियाबाद से पेशी के दौरान फरार हो गया था जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस आयुक्त गाजियाबाद द्वारा दिनाँक-12/06/2024 को रू0 01 लाख का पुरूस्कार घोषित किया गया था।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त नौशाद ने बताया कि वह 12वीं तक पढा है और उसने कम्प्यूटर रिपेयरिंग का काम सीखा था। दिनाँक-13/08/2016 को नौशाद ने अपनी साली की अपने घर पर हत्या कर दी थी जिसमें वह जेल चला गया था। जेल से न्यायालय मे पेशी के दौरान दिनाँक-07/08/2019 को वह सिपाहियों को चकमा देकर भाग गया था जिसकी गिरफ्तारी पर तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नें 25,000 रू0 का नगद पुरूस्कार घोषित किया था। दिनाँक-04/01/2020 को एसटीएफ द्वारा नौशाद को गिरफ्तार कर पुनः जेल भेज दिया गया था। तभी से नौशाद जिला जेल डासना गाजियाबाद में निरूद्ध था। जेल से माननीय न्यायालय पेशी पर दिनाँक-18/10/2023 को लाये जाने पर न्यायालय में पेशी के बाद नौशाद ने अपने साथ पेशी हेतु ड्यूटी पर लगे है0का0 शाहनवाज को कुछ सामान लेने हेतु न्यायालय के गेट से बाहर चलने को कहा बाहर निकलते ही वह है0का0 शाहनवाज को चकमा देकर फरार हो गया था। पेशी से फरार होने के बाद नौशाद दिल्ली गया और वहां से ट्रेन द्वारा मुम्बई चला गया मुम्बई में फलों की मण्डी में मजदूरी करने लगा और बान्द्रा में झुग्गी मे रहने लगा। वहाँ पर करीब 6-7 माह काम करने के बाद दिल्ली आया और गौतमपुरी बदरपुर में रहने लगा। नौशाद ने यह भी बताया कि उसने कम्प्यूटर का काम सीख रखा था वह नेहरू पैलेस दिल्ली में कम्प्यूटर रिपेयरिंग के काम को करके अपना गुजारा कर रहा था। फरारी के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए नौशाद अपने किसी भी रिश्तेदारों या जानने वालो से कोई सम्पर्क नही रखा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.नौशाद पुत्र मेहरबाव निवासी लोक प्रिय विहार थाना खोडा गाजियाबाद मूल पता ग्राम सदरपुर थाना बहादुरगढ जनपद- हापुड उम्र करीब 37 वर्ष

आपराधिक इतिहासः-

1.अभियुक्त नौशाद के विरूद्ध गाजियाबाद में 06 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

1.क्राइम ब्रान्च पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद

ग्रामीण जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी थानों व साइबर/सर्विलांस/स्वॉट टीम द्वारा भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 229 मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत लगभग 52 लाख 41,000 रूपये) रिकवर कर मोबाइल फोन स्वामियों को लौटाये गये।

सी ई आई आर (सेन्ट्रल इक्वीपमेंट आइडेंटीटी रजिस्ट्रर) पोर्टल पर ग्रामीण जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर मोबाइल चोरी, स्नैचिंग/लूट व मोबाइल खोने आदि की प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए ग्रामीण जोन पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस एवं मैनुअल इनपुट की सहायता से भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 229 मोबाइल फोन जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 52 लाख 41,000 रूपये है की बरामदगी की गई है। सभी थानों व साइबर/सर्विलांस/स्वॉट टीम द्वारा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिये तकनीकी साक्ष्यों का

गहन विश्लेषण किया गया। बरामद किये गये मोबाइल फोन को मोबाइल फोन के स्वामियों की पहचान कर प्रदान किये गये हैं।

<u>थानावार मोबाइल फोन बरामदगी का विवरणः-</u>

1. **थाना लोनी – 26**
2. **थाना ट्रोनिका सिटी – 18**
3. **थाना अंकुर विहार – 07**
4. **थाना लोनी बॉर्डर – 18**
5. **थाना मसूरी – 30**
6. **थाना मुरादनगर – 35**
7. **थाना मोदीनगर – 12**
8. **थाना निवाड़ी- 04**
9. **थाना भोजपुर- 04**
10. **थाना वेव सिटी- 18**
11. **थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक – 57**

कुल योग - 229

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा पीड़िता के साथ धर्म छिपाकर शादी कर लेना व पीड़िता को पता चलने पर धर्म परिवर्तन करने के लिये दबाव बनाना धर्म परिवर्तन न करने पर शारीरिक व मानसिक रुप से शोषण करना व गर्भपात कराने वाले 03 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

<u>कार्यवाही का विवरणः-</u> दिनांक 26.02.2025 को थाना टीला मोड़ पर वादिया/पीडिता द्वारा लिखित तहरीर दी कि अहसान उर्फ राहुल ने मेरे साथ धर्म छिपाकर आर्य समाज मन्दिर में शादी कर ली है। मुझे पता चलने पर मेरे पति अहसान उर्फ राहुल व मेरे ससुराल वाले ससुर इकलाख, सास फिरोज, देवर इमरान व नन्द आलिया और नज्जो द्वारा मेरे साथ धर्म परिवर्तन करने के लिये दबाव बनाना धर्म परिवर्तन न करने पर शारीरिक व मानसिक रुप से शोषण करना व तीन चार बार गर्भपात कराने के संबंध में लिखित तहरीर दी।

तत्काल थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा धारा 498-ए, 377,313,506 भा0द0वि0 व 3,3(5) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन कर आज दिनांक 28.02.2025 को अभियुक्त 1. अहसान उर्फ राहुल पुत्र इकलाख निवासी एफ 2, गरिमा गार्डन इरसाद गार्डन पसौंडा थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष, 2. इकलाख पुत्र नजीर निवासी एफ 2, गरिमा गार्डन इरसाद गार्डन पसौंडा थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 55 वर्ष व 3. इमरान पुत्र इकलाख निवासी एफ 2, गरिमा गार्डन इरसाद गार्डन पसौंडा थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को उनके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u> गिरफ्तार अभियुक्त अहसान उर्फ राहुल, इकलाख, इमरान उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि वर्ष 2018-19 में वादिया का परिचय अहसान उर्फ राहुल से हुआ था। अभियुक्त अहसान उर्फ राहुल ने वादिया को अच्छी जगह ज्यादा पैसे वाली नौकरी दिलवाने का लालच देकर अपने आप को हिन्दू बताकर वादिया के साथ आर्य समाज में शादी कर ली। जब वादिया को पता चला कि राहुल का असली नाम अहसान है और वह मुस्लिम है तो दोनों की बीच विवाद होने लगे। अभियुक्त अहसान उर्फ राहुल व उसके परिवार वाले वादिया के साथ मुस्लिम धर्म अपनाने के लिये

दबाव डालने लगे। वादिया द्वारा मना करने पर उसके साथ मारपीट करना, शारीरिक व मानसिक रुप से शोषण करना तथा अभियुक्त व उसके परिजनों द्वारा वादिया/पीडिता का तीन से चार बार गर्भपात भी कराया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-</u>

1. अहसान उर्फ राहुल पुत्र इकलाख निवासी एफ 2, गरिमा गार्डन इरसाद गार्डन पसौंडा थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।
2. इकलाख पुत्र नजीर निवासी एफ 2, गरिमा गार्डन इरसाद गार्डन पसौंडा थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 55 वर्ष।
3. इमरान पुत्र इकलाख निवासी एफ 2, गरिमा गार्डन इरसाद गार्डन पसौंडा थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-</u>

- गिरफ्तार अभियुक्त अहसान उर्फ राहुल के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम का 01 अभियोग व थाना साहिबाबाद पर अपहरण का 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त इकलाख व इमरान पर थाना टीलामोड़ पर उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

थाना टीला मोड़ पुलिस।